न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 1/ 2018 जिला सीकर

1. रामदेव पुत्र श्री भूराराम, आयु 82 वर्ष
2. श्रीमती सुरजी देवी धर्मपत्नी श्री रामदेव , आयु 80 वर्ष
   समस्त जाति अहीर, निवासीगण ढाणी गढी तन सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)

अपीलान्ट्स

बनाम

1. उप खण्ड अधिकारी , श्रीमाधोपुर , जिला सीकर (राजस्थान)
2. भूमिधारी तहसीलदार, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
3. पटवारी हल्का, पंवार भवन सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान),
4. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलक्टर, सीकर , जिला सीकर (राजस्थान)

रेस्पोंडेन्ट्स

5. गणपतराम पुत्र श्री गोविन्दराम आयु 80 वर्ष
6. बाबू लाल पुत्र गणपत आयु 60 वर्ष
7. पप्पू लाल कुमावत पुत्र बिरदीचन्द आयु 28 वर्ष
   समस्त जाति कुमावत, निवासीगण सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर (राजस्थान)
8. बिदामी देवी बेवा श्यामाराम , आयु 85 वर्ष, जाति अहीर , निवासी छोटागुढा, तहसील श्रीमाधोपुर , जिला सीकर (राजस्थान)

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
दिनांक 10.7.2017

चित्रा
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री सुल्तान सिंह कुडी
2. राजकीय अभिभाषक
3. वकील रेस्पोंडेन्ट संख्या 5 श्री लोकेश कुमावत

निर्णय

दिनांक– 26.3.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर के निर्णय कमांकः/ राजस्व/2017/9610 दिनांक 10.7.2017 के खिलाफ मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 8.1.2018 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

Scanned by CamScanner

यह कि ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2569, 2528, 2527 2588, 2617, 2616, 2615, 2642/2, 2610, 2648, 2609, 2599, 2598, 2597, 2486, 2487, 2474, 2489 के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को भिजवाते हुये अभिशंषा किये जाने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने दिनांक 10.7.2017 को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा बजट घोषणा 2015–16 के परिप्रेक्ष्य में राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र प. 3(2)राज–6/2003/पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 एवं जिला कलक्टर सीकर के पत्रांक राजस्व/16/2619–44 दिनांक 16.8.2016 एवं पत्रांक 4328–53 / राजस्व /2016 दिनांक 2.11.2016 की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एव 86 के प्रावधानों के अन्तर्गत तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर आदेश दिये गये कि निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किया जावे । गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम किया जावे एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम की जावे । गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी । तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भेजा गया प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस ओदश का भाग रहेंगे ।

क्र.सं.	नाम पटवार मण्डल	राजस्व ग्राम	खसरा नं.	रकबा	रकबा जो रास्ते में काम आ रहा है
1	सरगोठ	सरगोठ	2569	0.11हैक्टर	0.0400हैक्टर
			2528	0.08 हैक्टर	0.0100हैक्टर
			2527	3.85 हैक्टर	0.0720हैक्टर
			2588	0.36 हैक्टर	0.0150हैक्टर
			2617	0.29 हैक्टर	0.0200हैक्टर
			2616	0.35 हैक्टर	0.0250हैक्टर
			2615	1.21 हैक्टर	0.0280हैक्टर
			2642/2	0.57 हैक्टर	0.0160हैक्टर
			2610	2.33 हैक्टर	0.0480हैक्टर
			2618	1.93 हैक्टर	0.0520हैक्टर
			2609	1.12 हैक्टर	0.0320हैक्टर
			2599	1.00 हैक्टर	0.0200हैक्टर
			2598	0.49 हैक्टर	0.0200हैक्टर
			2597	0.38 हैक्टर	0.0200हैक्टर

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

			2486	0.48 हैक्टर	0.0500हैक्टर
			2487	0.09 हैक्टर	0.0100हैक्टर
			2474	0.97 हैक्टर	0.0460हैक्टर
			2489	0.86 हैक्टर	0.0480हैक्टर

उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 10.7.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर के निर्णय 10.7.2017 निरस्त किये जाने एवं उक्त आदेश की अनुपालना में की गई समस्त कार्यवाही को प्रभावहीन एवं शून्य करते हुये निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्रम सरगोठ स्थित आराजी खसरा नम्बर 2569 से रास्ता शुरू होकर खसरा नम्बर 2644/ 3265 की सीमा तक स्थित है, लेकिन उक्त रास्ता अपीलान्ट एवं दीगर खातेदारों की निर्धारित सीमाओं पर दोनों तरफ बराबर बराबर है । उक्त रास्ता खसरा नम्बर 2529, 2528, 2527, 2588, 2585, 2590, 2591, 2611, 2610 की पूर्वी सीमा व खसरा नम्बर 2517, 2617, 2616, 2615, 2642, 2643 व खसरा नम्बर 2644/3265 के पश्चिमी सीमा पर स्थित है । उक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग का नहीं होकर अपीलान्ट, तरतीबी प्रत्यर्थीगण संख्या 5 से 8 व रास्ते के दोनों तरफ स्थित खातेदारों का निजी उपयोग का रास्ता है, लेकिन विवादित रास्ता अपीलान्ट व तरतीबी प्रत्यर्थीगण संख्या 5 से 8 की खातेदारी भूमि में नहीं होकर उपरोक्त वर्णित खसरा नम्बरान की कायम सीमाओं पर अवस्थित है । प्रत्यर्थी संख्या 3 पटवारी हल्का द्वारा ग्रम पंचायत सरगोठ के सरपंच के बहकावें में व उसके कहे अनुसार कायम रास्ते के विपरीत अपने राजनैतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर वोट बैंक को नाजायज फायदा पहुँचाने की नियत से अकेले अपीलान्ट व तरतीबी प्रत्यर्थीगण संख्या 5 से 8 की भूमि में मौके पर बिना सीमाज्ञान करवाये एवं मौके का बिना भौतिक सत्यापन, निरीक्षण किये अपने कार्यालय में बैठकर दीगर खातेदारों से साजकर उक्त प्रस्ताव बिना दिनांकित भिजवाया गया है । उनका कहना था कि रास्ता किसी भी राजमार्ग, शहर , गॉव व आवादी से जुडा हुआ नहीं है ना ही किसी व्यक्ति या खातेदार द्वारा उक्त रास्ता अंकित करवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा हितवद्ध खातेदारों को नोटिस देने का अंकन आदेशिका में किया है, लेकिन किसी भी खातेदार व हितवद्ध व्यक्ति को कोई नोटिस प्राप्त नहीं हुये ओर ना ही राजस्व कर्मचारियों द्वारा सूचित किया गया । उनका कहना था कि विवादित भूमि के संबंध में माननीय न्यायालय वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, रींगस

Scanned by CamScanner

जिला सीकर में वाद संख्या 57/2016 उनवानी रामदेव आदि बनाम श्योलाराम आदि विचाराधीन है जिसमें अन्तरिम निषेधाज्ञा दिनांक 17.8.2016 से मौका व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी गई थी , जिसकी जानकारी पटवारी व तहसीलदार को भलीभांति थी , लेकिन इसके बावजूद भी स्थगन आदेश की अनदेखी करते हुये अधीनस्थ न्यायालय को रास्ता कायम करने के प्रस्ताव भिजवाने में विधिक त्रुटि की है । उनका कहना था कि अपीलान्ट ने उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर के समक्ष भी एक वाद रामदेव वगैहरा बनाम श्योलाराम वगैहरा बाबत इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 25.11.2005 को प्रस्तुत किया था जिसमें पक्षकारों के मध्य विधिक तकासमा होकर अंतिम निस्तारण होना है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका व रिकार्ड का अवलोकन किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित करने में कानूनी भूल की है । राजस्थान सरकार द्वारा परिपत्र 2016 सार्वजनिक रास्तों का अंकन रिकार्ड में नहीं होने एवं आमजन द्वारा उपयोग उपभोग करने के संबंध में कार्यवाही बाबत है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश इस परिपत्र की अनुशंषा में पारित करने में विधिक त्रुटि की है । अन्त में कथन किया कि अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में उन्हें बिना नोटिस दिये व बिना सुने , विवादित भूमि में मोके पर रास्ता प्रचलित है या नहीं है, की जॉच किये बिना एवं बिना सीमाज्ञान कराये अपीलान्ट्स की खातेदारी भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने पारित करने में विधिक भूल की है । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश एवं इसकी अनुपालना में की गयी समस्त कार्यवाही निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि में प्रचलित रास्ता मोके पर चालू होने एवं भूमि के अधिक भाग में ग्रेवल सडक डली हुई होने एवं रास्ता गढी से ढाणी बगडिया वाली होते हुये गुढा रेलवे स्टेशन तक जाने के कारण तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने रास्ता दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर को भिजवाये थे । उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने विवादित भूमि के प्रभावित एवं हितबद्ध खातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किये थे । अपीलान्ट रामदेव पुत्र भूरा व सुरजी पत्नि रामदेव ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की थी, जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक रिपोर्ट लेने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जरिये पत्रांक 1480/राजस्व दिनांक 31.5.2017 के द्वारा ग्रम सरगोठ के भूमि खसरा नम्बर 2615 व 2617 में प्रस्तावित रास्ता आवागमन हेतु सार्वजनिक प्रयोजनार्थ उपयोग में आने व मौके पर चालू होने से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने की अभिशंषा की थी । अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रेषित अभिशंषा के आधार पर प्रभावित एवं हितबद्ध खातेदारों को नोटिस जारी कर

Scanned by CamScanner

विवादित भूमि में से गैर मुमकीन रास्ता कायम करने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.7.2017 पारित किया है । गैरमुकीन रास्ता सार्वजनिक प्रयोजनार्थ जनहित में कायम किया है, जो ग्राम वासियों के आवागमन हेतु उपयुक्त रहेगा । ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर दिनांक 10.7.2017 उचित एवं विधिसम्यक होने से उसे यथावित रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । प्रकरण में ग्राम सरगोठ, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर स्थित आराजी खसरा नम्बर 2569, 2528, 2527 2588, 2617, 2616, 2615, 2642/2, 2610, 2648, 2609, 2599, 2598, 2597, 2486, 2487, 2474, 2489 के रकबे में से प्रस्तावित रकबा रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मय अभिशंषा प्राप्त होने पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर ने दिनांक 10.7.2017 तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त प्रस्ताव के अनुसार संलग्न् सूची व नक्शा ट्रेस में अंकित/ दर्ज खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकीन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का अपीलाधीन आदेश पातिर किया है तथा तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रस्ताव एवं नक्शा ट्रेस की प्रति भेजकर खसरा नम्बरान की कृषि भूमियों बाबत राजस्व अभिलेख में जरिये नामांतरकरण रास्ते के पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुए रास्ते के रकबे की किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिये हैं एवं गैर मुमकीन रास्ते में आने वाली भूमि का लगान कम करने एवं नक्शे में उक्तानुसार तरमीम करने तथा गैर मुमकीन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में रहने के भी आदेश दिये हैं ।

चित्रा
तिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में सर्वप्रथम प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट्स की मुख्य आपत्ति थी कि ग्राम सरगोठ के आराजी खसरा नम्बर 2617 रकबा 0.020 है. व खसरा नम्बर 2615 रकबा 0.0280 है. रामदेव पुत्र भूरा , सुरजी पत्नि रामदेव, मालीराम , गिरधारी पुत्रगण बिन्जा, नन्छी बेवा घासी, रूडा पुत्र घीसी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिस पर वे काबिज काश्त है । उक्त खसरा नम्बर की भूमि का सीमाज्ञान नहीं हुआ है तथा उक्त भूमि का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी की जावे । उक्त आपत्ति पर उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर द्वारा तहसीलदार से रिपोर्ट चाहने पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित कर खसरा नम्बर 2615 व 2617 में प्रस्तावित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ प्रचलित रास्ता मौके पर चालू होना बताया है । पत्रावली में उपलब्ध नक्शा ट्रेस में रास्ता खसरा नम्बरान के एक तरफ ही कायम किया गया है जिससे पडौसी खातेदारों की भूमि रास्ते में नहीं आने से उन्हें लाभ हुआ है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स की

Scanned by CamScanner

इस आपत्ति का निस्तारण किये बिना एवं विवादित भूमि में मोके पर रास्ता प्रचलित है या नहीं है, की जॉच किये बिना एवं तहसीलदार द्वारा नक्शे में विवादित भूमि में दर्शाये गये एक तरफ रास्ते को नजरन्दाज करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर दिनांक 10.7.2017 अपीलान्ट की ग्राम सरगोठ स्थित खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 2615 रकबा 0.0280 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 2617 रकबा 0.0200 हैक्टेयर की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उभयपक्षों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णयपारित करने हेतु उप खण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर

Scanned by CamScanner